प्रा0पत्र / 33 / 2023 न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

थानाधिकारी पुलिस थाना रुपवास जिला भरतपुर.

बनाम ......प्रार्थी0

1—भैरुसिंह पुत्र बहादुरसिंह जाति राठौर उम्र 41 साल निवासी वसेरा भवन के पास बालागंज थाना शहर कोतवाली मन्दसौर जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश
2—साईद मंसूरी पुत्र रामजान मंसूरी जाति मंसूरी उम्र 28 साल निवासी वोतलगज तहसील मलहारगढ थाना पिपलिया मण्डी जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश

......अप्रार्थी0

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय भरतपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) बाबत एफ.आई.आर न. 331 / 2023 धारा 5,6व 8 में जप्त वाहन के बाबत।

उपस्थित :—

1—ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार प्रार्थी,
2—श्री मुकीमखान अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 22.3.2024

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना रुपबास जिला भरतपुर ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) पेश किया गया , जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 8.6.2023 को सूचना मिली कि बोकोली के जंगल में दो ट्रकों में गौवंश को अज्ञात लोग भर कर ले जा रहे हैं उक्त सूचना पर रवाना होकर जंगल बोकोली पहुंचे, मौके पर एक ट्रक संख्या एमपी 09 एचजी1628 12 चक्का मिला जिसको चैक करने पर ट्रक के अन्दर 6 गौवंश एक के ऊपर एक निर्दयता पूर्वक पडे हुये बंधे मिले जिनमें से 2 गाय व 4 सांड है व ट्रक के पास खेत में करीब 35—40 गौवंश (गायं व सांड) रसियों से एक दूसरे से बंधे हुये थे व दो तीन खेत दूर दूसरा ट्रक 14 चक्का नम्बर आरजे 27जीडी 8093 खड़ा मिला जिसको चैक किया तो ट्रक के अन्दर 6 गौवंश एक के ऊपर एक निर्दयता पूर्वक पडे हुये

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

प्रा0पत्र / 33 / 2023
थानाधिकारी रुपबास बनाम भैरुसिंह वगे.

बंधे मिले जिनमें 3 गाय व 3 सांड है। व ट्रक के पास खेत में करीव 40–45 गौवंश गाय व सांड रसियों से एक दूसरे से बंधे हुये थे। जिनको एक दूसरे से अलग अलग किया गया तो गौंवश खेतों व जंगल में भाग गये। चालक व वाहन मालिकों द्वारा गौवंश को अवैध रुप से परिवहन कर गौवध के लिये ले जाना अपराध धारा 5,6,8 गौवंश अधिनियम की तारीफ मे आना पाये जाने पर ट्रक संख्या एमपी 09एचजी 1628 12 चक्का व ट्रक 14 चक्का नम्बर आरजे 27 जीडी 8093 एवं 12 गौवंश को बतौर बजह सबूत प्रकरण हाजा में जरिये फर्द जप्ती जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। 12 गौवंश को स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर गौशाला में छुडवाया गया। जप्त शुदा ट्रक नम्बर आरजे 27 जीडी 8093 के रजिस्टर मालिक जाफरखान पुत्र रशीदखान जाति शेख मुसलमान उम्र 42 साल निवासी 174 अरोरा कोलोनी मंदसौर मध्यप्रदेश ने एक मुख्त्यारनामा पेश कर बताया कि ट्रक की समस्त जिम्मेदारी गैरसालय नम्बर को दी हुई थी। जप्त शुदा ट्रक नम्बर एमपी 09 एचजी 1628 के रजिस्टर मालिक सलीम खान पुत्र छोटूखान जाति पठान उम्र 47 साल निवासी वार्ड न. 16 कोर्ट के सामने लक्ष्मीवाई मार्ग जावरा थाना जावरा शहर जिला रतलाम मध्यप्रदेश ने बताया कि जरिये मुख्त्यारनामा समस्त जिम्मेदारी अप्रार्थी संख्या 1 को सोंप रखी थी। मुलजिमान को न्यायालय के आदेशानुसार जेल दाखिल कराया गया। उपलब्ध साक्ष्यों से मुलजिम गैरसायल 1व 2 के विरुद्ध धारा 5,6,8 गौवशं अधिनियम का प्रमाणित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर । गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये। गैरसायल नम्बर 1 व 2 जेल में बन्द हैं। जप्त शुदा वाहनों के वाहन मालिक की ओर से अभिभाषक मुकीम खान ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया तथा नोटिस का जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किये गया । प्रार्थी की ओर से ए. पी.पी उपस्थित आये। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी सरकार की ओर से ए.पी.पी. ने अपनी बहस में हमारा ध्यान थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि की ओर आकर्षित करते हुये बताया कि पुलिस थाना रुपबास ने गौवंश के अवैध परिवहन की सूचना मिलने पर 8.6.2023 को सूचना मिली कि बोकोली के जंगल में दो ट्रकों में गौवंश को अज्ञात लोग भर कर ले जा रहे हैं उक्त सूचना पर रवाना होकर जंगल बोकोली पहुंचे, मौके पर एक ट्रक संख्या एमपी 09 एचजी1628 12 चक्का मिला जिसको चैक करने पर ट्रक के अन्दर 6 गौवंश एक के ऊपर एक निर्दयता पूर्वक पडे हुये बंधे मिले जिनमें से 2 गाय व 4 सांड है व ट्रक के पास खेत में करीब 35–40 गौवंश(गायं व सांड) रसियों से एक दूसरे से बंधे हुये थे व दो तीन खेत दूर दूसरा ट्रक 14 चक्का नम्बर आरजे 27

..........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

जीडी 8093 खड़ा मिला जिसको चैक किया तो ट्रक के अन्दर 6 गौवंश एक के ऊपर एक निर्दयता पूर्वक पडे हुये वंधे मिले जिनमें 3 गाय व 3 सांड है। व ट्रक के पास खेत में करीब 40—45 गौवंश गाय व सांड रसियों से एक दूसरे से वंधे हुये थे। जिनको एक दूसरे से अलग अलग किया गया तो गौवश खेतों व जंगल में भाग गये। चालक व वाहन मालिकों द्वारा गौवंश को अवैध रुप से परिवहन कर गौवध के लिये ले जाना अपराध धारा 5,6,8 गौवंशे अधिनियम की तारीफ मे आता है। ए.पी.पी. ने वताया कि दोनो जप्त शुदा वाहनों को गौकशी परिवहन तस्करी में उपयोग में लिया जा रहा था। प्रार्थना पत्र धारा 6ए गौवंश अधिनियम स्वीकार किया जाकर जप्त वाहन को राजसात किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने वताया कि अप्रार्थी0 के खिलाफ धारा 6ए का प्रकरण झूंठा एवं मनगढ़त है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि ट्रक नम्वर आरजे 27 जीडी 8093 के रजिस्टर मालिक जाफरखान पुत्र रशीदखान जाति शेख मुसलमान एवं ट्रक नम्बर एमपी 09 एचजी 1628 के रजिस्टर मालिक सलीम खान पुत्र छोटूखान जाति पठान है इनका गौवंश परिवहन से कोई लेना देना नहीं है। जप्त वाहन थाना परिसर में खड़े हुये हैं। थाना अधिकारी रुपवास ने झूठां प्रकरण धारा 6 ए गौवंश अधिनियम में दर्ज कर प्रार्थीगण के वाहन जप्त कर लिये हैं। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया जाकर जप्त शुदा वाहनों को उनके रजिस्टर्ड मालिक को सोंपे जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। दिनांक 8.6.2023 को पुलिस थाना रुपवास द्वारा बोकोली के जंगल में दो ट्रकों में गौवंश को अज्ञात लोग भर कर ले जाते हुये पकड़ा गया है। मौके पर एक ट्रक संख्या एमपी 09 एचजी 1628 12 चक्का मिला जिसको चैक करने पर ट्रक के अन्दर 6 गौवंश एक के ऊपर एक निर्दयता पूर्वक पडे हुये बंधे मिले जिनमें से 2 गाय व 4 सांड है व ट्रक के पास खेत में करीब 35—40 गौवंश (गायं व सांड) रसियों से एक दूसरे से बंधे हुये थे व दो तीन खेत दूर दूसरा ट्रक 14 चक्का नम्बर आरजे 27 जीडी 8093 खड़ा मिला जिसको चैक किया तो ट्रक के अन्दर 6 गौवंश एक के ऊपर एक निर्दयता पूर्वक पडे हुये बंधे मिले जिनमें 3 गाय व 3 सांड है। व ट्रक के पास खेत में करीब 40—45 गौवंश गाय व सांड रसियों से एक दूसरे से बंधे हुये थे। जिनको एक दूसरे से अलग अलग किया गया तो गौंवश खेतों व जंगल में भाग गये। ट्रक संख्या एमपी 09एचजी 1628 12 चक्का व ट्रक 14 चक्का नम्बर आरजे 27 जीडी 8093 एवं 12 गौवंश को बतौर बजह सबूत प्रकरण हाजा में जरिये फर्द जप्ती जप्त कर कब्जा

..........4

जिला कलक्टर
भरतपुर

पुलिस लिया गया। 12 गौवंश को स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर गौशाला में छुडवाया गया। जप्त दोनों ट्रक वाहन गौवंश को अवैध रुप से परिवहन करते पाये गये हैं। अधिनियम का अध्ययन किया गया।

उक्त अधिनियम की धारा 6 Transporter to be abettor:–

> "......Whenver the bovine animals are trasported by any means of transport in furtherance of the object of colimission of any offence under this Act, the transporter shall be gulity of abetment of the said offence and shall be liable for the same punishment as is provid under section 8 of the Act for person committing the said offence........"

The Rajasthan Bovine Animal (Prohivition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) ACt 1995 **की धारा 11** :–

> "Burden of proof :- Wher any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provisions of this Act shall be on him.

इस प्रकार प्रार्थी थाना अधिकारी रुपबास द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 6ए गौवंश अधि0 के साथ प्रस्तुत नकल एफ.आई.आर., फर्द जप्ती गौवंश, जप्ती वाहन, फर्द पुछताछ, फर्द मौका नक्शा एवं बयान मौका गवाहन से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन संख्या ट्रक संख्या एमपी 09 एचजी 1628, 12 चक्का व ट्रक 14 चक्का नम्बर आरजे 27 जीडी 8093 गौवंशीय पशु को गौवध के लिये परिवहन में लिप्त पाये गये हैं अप्रार्थी. का यह कृत्य अपराध धारा 5,6,8 गौवंश अधिनियम की तारीफ मे आता है।

उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन संख्या ट्रक संख्या एमपी 09 एचजी 1628, 12 चक्का व ट्रक 14 चक्का नम्बर आरजे 27 जीडी 8093 गौवंशीय पशु को गौवध के लिये परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) के तहत उक्त जप्त वाहनों को राजसात (confiscate) किया जाता है।

अधिनियम की धारा राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6ए का अवलोकन किया गया, उक्त धारा 6ए में व्यवस्था दी गई है :–

..........5

जिला कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

प्रा0पत्र / 33 / 2023
थानाधिकारी रुपबास बनाम भैरुसिंह वगे.

3– Insrtion of new section 6-A, Rajasthan Act No. 23 of 1995- After the exisstiong section 6 and before the existiog section 7 of the principal Act the following new section shall be inserted,namely :

6-A Confiscation of the means of conveyance-(1) Whenever an offence punishable under this Act is committed, any means of conveyance used in the commission of such offence shall be liable to confiscation..........Provided also that before ordering confisction under this sub-section(1), may be given an option to pay, in lieu of confiscation, a fine not exceeding the market price of such means of conveyance.

अतः उक्त अधिनियम की धारा 6(ए) के परिप्रेक्ष्य में जप्त वाहन संख्या ट्रक संख्या एमपी 09 एचजी 1628, 12 चक्का वाहन पर राशि 300000 / – (तीन लाख रुपये) एवं ट्रक 14 चक्का नम्बर आरजे 27 जीडी 8093 वाहन पर राशि 300000 / – (तीन लाख रुपये) जुर्माना (Fine) लगाया जाता है। जुर्माना राशि 30 दिवस में जमा नहीं कराने पर जप्त वाहन स्वतः राजसात (confiscate) हो जावेगें।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 धारा 6(ए) स्वीकार किया जाता है। उक्त जप्त वाहनों को राजसात (confiscate) किया जाता है।

अधिनियम की धारा 6(ए)(1) में दिये गये प्रावधान को मध्य नजर रखते हुये जप्त वाहन संख्या ट्रक संख्या एमपी 09 एचजी 1628, 12 चक्का जुर्माना (Fine) राशि 300000 / – (तीन लाख रुपये,) एवं ट्रक 14 चक्का नम्बर आरजे 27 जीडी 8093 वाहन पर जुर्माना (Fine) राशि 300000 / – (तीन लाख रुपये,) यदि वाहन मालिक 30 दिवस के अन्दर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करादें तो वाहन को सम्बन्धित मालिक को रिलीज किया जावे। बाद गुजरने म्याद उक्त जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति भारसाधक पदाधिकारी, पुलिस थाना रुपवास को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.3.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर